भाग–III

हरियाणा सरकार

उच्चतर शिक्षा विभाग

अधिसूचना

दिनांक 22 जनवरी, 2016

संख्या का0आ0 1/ह0अ0 25/1975/धा0 4/2016-& महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक अधिनियम, 1975 (1975 का 25), की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, विनिर्दिष्ट करते हैं कि शैक्षणिक सत्र 2015–16 से अग्रसर, महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक, वस्त्र तकनीक तथा विज्ञान संस्थान, भिवानी पर अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं करेगा :

परन्तु उक्त तिथि से पूर्व महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक से सम्बद्ध या अनुमति प्राप्त इस संस्था के किसी विद्यार्थी, जो उस विश्वविद्यालय की किसी उपाधि या डिप्लोमा परीक्षा के लिए अध्ययन कर रहा था, को पाठ्यक्रम की तैयारी के संबंध में अपना पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए अनुमत किया जाएगा तथा वह विश्वविद्यालय ऐसे विद्यार्थियों के लिए ऐसी अवधि के लिए उस विश्वविद्यालय में लागू अध्ययन पाठ्यक्रम के अनुसार परीक्षाएं आयोजित करेगा जो परिनियमों/अध्यादेशों/विनियमों द्वारा विहित की जायें।

विजय वर्धन,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
उच्चतर शिक्षा विभाग।

[Authorized English Translation]

HARYANA GOVERNMENT

HIGHER EDUCATION DEPARTMENT

Notification

The 22nd January, 2016

No. S.O.1/H.A.25/1975/S.4/2016.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of Maharishi Dayanand University, Rohtak Act, 1975 (25 of 1975), the Governor of Haryana hereby specifies that from the academic session 2015-2016 onwards, Maharishi Dayanand University, Rohtak, shall cease to exercise its power over the Textile Institute of Technology and Science, Bhiwani :

Provided that any student of this institute associated with or admitted to the Maharishi Dayanand University, Rohtak before the said date, who was studying for any degree or diploma examination of that University shall be permitted to complete his/her course in preparation thereof and that University shall hold for such students, examinations in accordance with the curricula of study in force in that University for such period, as may be prescribed by the Statutes, Ordinances or Regulations.

VIJAI VARDHAN,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Higher Education Department, Chandigarh.

हरियाणा सरकार

उच्चतर शिक्षा विभाग

अधिसूचना

दिनांक 22 जनवरी, 2016

संख्या का0आ0 2/ह0अ0 25/2014/धा0 4/2016-& चौधरी बंसी लाल विश्वविद्यालय, भिवानी अधिनियम, 2014 (2014 का 25), की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, विनिर्दिष्ट करते हैं कि शैक्षणिक सत्र 2015–16 से अग्रसर, चौधरी बंसी लाल विश्वविद्यालय, भिवानी, वस्त्र तकनीक एवं विज्ञान संस्थान भिवानी पर अपनी अधिकारिक शक्तियों का प्रयोग करेगा :

परन्तु उक्त तिथि से पूर्व महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक से सम्बद्ध या अनुमति प्राप्त इस संस्था के किसी विद्यार्थी, जो उस विश्वविद्यालय की किसी उपाधि या उपाधि–पत्र परीक्षा के लिए अध्ययन कर रहा था, को पाठ्यक्रम की तैयारी के संबंध में अपना पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए अनुमत किया जाएगा तथा वह विश्वविद्यालय ऐसे विद्यार्थियों के लिए ऐसी अवधि के लिए उस विश्वविद्यालय में लागू अध्ययन पाठ्यक्रम के अनुसार परीक्षाएं आयोजित करेगा जो परिनियमों/अध्यादेशों/विनियमों द्वारा विहित की जायें।

विजय वर्धन,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
उच्चतर शिक्षा विभाग।

[Authorized English Translation]

HARYANA GOVERNMENT

HIGHER EDUCATION DEPARTMENT

Notification

The 22nd January, 2016

No. S.O.2/H.A.25/2014/S.4/2016.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of Chaudhary Bansi Lal University, Bhiwani Act, 2014 (25 of 2014), the Governor of Haryana hereby specifies that from the academic session 2015-2016 onwards, Chaudhary Bansi Lal University, Bhiwani shall exercise its jurisdictional powers over the Textile Institute of Technology and Science, Bhiwani :

Provided that any student of this institution associated with or admitted to the Maharishi Dayanand University, Rohtak before the said date, who was studying for any degree or diploma examination of that University shall be permitted to complete his/her course in preparation thereof and that University shall hold for such students examinations in accordance with the curricula of study in force in that University for such period, as may be prescribed by the Statutes, Ordinances or Regulations.

VIJAI VARDHAN,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Higher Education Department, Chandigarh.

53985—L.R.—H.G.P., Chd.